न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 77/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00410

प्रार्थी:—

देवाराम पुत्र गुमनाराम जाति प्रजापत निवासी हापत, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. निजामुदीन पुत्र अमरूदीन, जाति मोयला मुसलमान
2. अब्दुलगनी पुत्र अमरूदीन, जाति मोयला मुसलमान के विधिक वारिसान
   2/1 जरीना पत्नी स्वं. अब्दुलगनी
   2/2 इन्साफ पुत्र स्वं. अब्दुलगनी
   2/3 ताजमोहम्मद पुत्र स्वं. अब्दुलगनी
   2/4 फरजाना पुत्री स्वं. अब्दुलगनी
   2/5 रूकसाना पुत्री स्वं. अब्दुलगनी
   2/6 मुस्ताक पुत्र स्व. अब्दुलगनी, जरिये कुदरति वली माता जरीना
   2/7 बाबुखां पुत्र स्वं. अब्दुलगनी जरिये कुदरति वली माता जरीना
   2/8 रहमती पुत्री स्वं. अब्दुलगनी जरिये कुदरति वली माता जरीना
   समस्त जातिगण मोयला मुसलमान निवासीगण ग्राम हापत तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
3. ग्राम पंचायत रेपडावास, जरिये सरंपच ग्राम पंचायत रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा।

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/05/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रेपडावास द्वारा मिसल संख्या 2/1990—91, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 04.07.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी निजामुद्दीन, अब्दुल गनी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 16.01.1991 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि मौजा हापत की आबादी भूमि में प्रार्थी का पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड आया हुआ है, जिसमें मौके पर पक्की बाउण्ड्री एवं नीव भरी हुई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल पर सरपंच, ग्रामसेवक एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में कोई आवेदन पेश नहीं किया। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण आदेशिका एक ही दिन में लिखी गई, गवाहों के बयान किस दिनांक को लिये गये अंकित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा 19600 वर्गफीट भूमि का जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र पेश किया था, जिसके पश्चात ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों में वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करते समय यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई तकनीकी रूप से सें त्रुटि रह जाती है तो इस आधार पर उक्त पट्टे को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिये न्यायहित में अप्रार्थी का पट्टा यथावत रखते हुये प्रार्थी की जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रेपडावास द्वारा मिसल संख्या 2/1990–91, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 04.07.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी निजामुद्दीन, अब्दुल गनी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 16.01.1991 के विरूद्ध पेश की है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी किये जाने की प्रक्रिया वर्णित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत किया। जैर निगरानी मिसल की सम्पूर्ण आदेशिका पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही कोरम के किसी सदस्य के हस्ताक्षर है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 08.05.1990, जो कि प्रथम आदेशिका थी, के द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने हेतु आदेश जारी किये गये, परन्तु उक्त नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल तथा सरपंच के हस्ताक्षर है तथा उक्त नक्शा कब बनाया गया के सम्बन्ध में भी किसी दिनांक का अंकन नहीं है। आदेशिका दिनांक 04.07.1990 के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर न तो मनोनित पंचों के हस्ताक्षर है और न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। आवेदक द्वारा नियम 256(2) के तहत खरीदी जाने के लिए चाही गई भूमि का नक्शा तैयार करने के खर्चे के लिए दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा, जो नहीं करवायी गयी। इसके पश्चात नियम नियम 258 के तहत तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 258(2) "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान किस दिनांक को किन व्यक्तियों के समक्ष लिये गये यह कही जाहिर नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है वह एक खाली प्रारूप है, जिस पर न तो भूमि का विवरण अंकित है, न ही नोटिस जारी करने की दिनांक, न ही सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में रिपोर्ट के साथ गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही जैर निगरानी पटटे की प्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टे पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

न तो सरपंच के हस्ताक्षर है, न ही किसी अन्य सदस्य और ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण मिसल में यथा आदेशिका, नक्शा, भूमि निरीक्षण प्रपत्र, आपत्ति इश्तिहार पट्टा आदि कही पर भी न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही कोरम के किसी सदस्य के हस्ताक्षर है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996–नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तो की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है, हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रेपडावास द्वारा मिसल संख्या 2/1990–91, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 04.07.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी निजामुद्दीन, अब्दुल गनी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 16.01.1991 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)